

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : प्रयागराज, जनपद : प्रतापगढ़, तहसील : लालगंज
वाद संख्या :- 4148/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202202570204148
अध्यक्ष श्रीमती डा० श्याम दुलारी सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)


मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं वादिनी द्वारा प्रस्तुत खतौनी भूमि स्थित ग्राम चितरी परगना सदर तहसील लालगंज जिला प्रतापगढ़ की खतौनी वावत् सन् 1429-1434 फ० खाता सं० 00220, 00204 की गाटा सं० 145/0.759हे०, 166/0.582हे०, 165स/0.057हे० का परिशीलन किया। दर्शित वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। साक्ष्य स्वरूप वादग्रस्त भूमि का खसरा व स्थल फोटोग्राफ संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 02.09.2022 स्वीकार किये जाने योग्य है।


आदेश

अतः तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 02.09.2022 के आधार पर भूमि स्थित ग्राम चितरी परगना सदर तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ की खतौनी वावत् सन् 1429-1434 फ० खाता सं० 00220, 00204 पर अंकित नाम अध्यक्ष श्रीमती डा० श्याम दुलारी सिंह पत्नी रणधीर सिंह की गाटा सं० 145/0.759हे०, 166/0.582हे०, 165स/0.057हे० कुल 3किता/1.398हे० भूमि को अन्तर्गत धारा 80(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वादिनी आकृषिक प्रयोग में ला सकती है। नियमानुसार 5 वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण निर्माण करके धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराये। लेखपाल का स्थलीय सत्यापन दिनांक 23.08.2022 राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आख्या दिनांक 25.08.2022 एवं तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 02.09.2022 आदेश का अंग होगा। पत्रावली सत्यापित अभिलेखों, आख्या तथा शपथ पत्रों के असत्य या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यह आदेश उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझी जायेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दपत्र हो।

दिनांक-


PRESIDENT
R.S. Educational/Social
& Charitable Trust
Lalganj-Pratapgarh (U.P.)


साक्ष्य मित्र
उपजिलाधिकारी
लालगंज, प्रतापगढ़



पृष्ठ संख्या :

R.S. Educational/Social
& Charitable Trust
Lalganj-Pratapgarh